International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.11 No.4 March – April 2024

स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

डॉ. विजय पाटिल
(वरिष्ठ शिक्षक) शिक्षाविद
उच्च.माध्य.विद्या.गवाड़ी,जिला बड़वानी,मप्र.
एम.ए,बी.एड,पी.एच.डी(मानद),डी.लिट(मानद)
डी.एन.वाय.एस(नेचुरूपेथी)
Corresponding Author - डॉ. विजय पाटिल
DOI - 10.5281/zenodo.10953440

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति2020 लाई गई।जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे लाने के साथ ही देश में शिक्षा पर व्यापक चर्चा प्रारंभ हो गई ।शिक्षा संबंध में गांधी जी का तात्पर्य था कि शिक्षा का संबद्ध बालक और मनुष्य के शरीर, तंत्र तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं संपूर्ण विकास से है ।स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि मनुष्य की अंतर नहीं पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उक्त उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी। जिसे महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था ।नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।नई शिक्षा नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तन, कार्य में सुधार की अपेक्षा की गई है।इसके उद्देश्यों की पूर्ति के तहत 2030 तक स्कूल शिक्षा में शत प्रतिशत उच्च शिक्षा साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक के शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य रखा गया है।नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है।नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है। जिसमें 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है।नई शिक्षा नीति के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा तीसरी स्तर के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा।राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 से आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शारीरिक शिक्षा में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी नियमित रूप से खेलकूद ,योग, नृत्य ,शारीरिक गतिविधियों एवं विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया जा सकेगा।इस नीति में कला और विज्ञान व्यावसायिक और

शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठयक्रम गतिविधियों के बीच बहुत अंतर नहीं होगा। कक्षा 6 से ही स्थानीय क्षेत्र पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा।राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। कक्षा दसवीं और कक्षा बारहवी की परीक्षा में बदलाव किया जाएगा।छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपनी भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा।

शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय चर्चा की रूपरेखा 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकरण b.Ed डिग्री आवश्यक। नई शिक्षा नीति में एम.फिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है।राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विकलांग बच्चों के लिए क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण, संसाधन केंद्र, आवास सहायक उपकरण ,शिक्षकों का पूर्ण समर्थन प्रारंभ से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित कर सक्षम बनाया जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का गठन किया जाएगा।डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिए अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा।देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र के सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर को सामान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में जेंडर इंटेलिजेंट फंड की स्थापना होगी। 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ आचार्य और शैक्षणिकता का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया जाएगा। बदलते परिवेश, वैश्विक परिवेश के परिदृश्य आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन आवश्यक था।शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने नवाचार और अनुसंधान को बढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी।

शोध सार:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कक्षा 5वी तक मातृभाषा,घर की भाषा,स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाए जबकि कक्षा आठवीं और उसके बाद की शिक्षा में भी इसकी पूरी कोशिश की जाए।राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषा, स्थानीय भाषा एवं बहुभाषिकता पर जोर देते हुए त्रिभाषा सूत्र का उल्लेख करती है। त्रिभाषा सूत्र एनईपी1986 की शिक्षा नीति से थोड़ा भिन्न है। एनईपी1986 के त्रिभाषा सूत्र में क्षेत्र विशेष में द्वितीय एवं तृतीय भाषा के चयन में बाध्यता थी। जबकि एनईपी 2020 में प्रथम मातृभाषा के अलावा द्वितीय एवं तृतीय भाषा के चयन में लचीलापन है।राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषा शिक्षा और भाषा अधिगम को बहू भाषावाद के रूप में वर्णित करती है।राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत तथा शास्त्रीय भाषा के अध्ययन पर भी जोर दिया गया है। संस्कृत के महत्व को समझते हुए उसके समकालीन प्रासंगिक विषयों

गणित,खगोल,विज्ञान,दर्शन भाषा आदि को भी जोड़ा गया है।राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप संस्कृत विश्व विद्यालय भी उच्च शिक्षा के बड़े बहु विषयक संस्थान बनने की ओर अग्रसर होंगे।विदेशी भाषाओं का अध्ययन सेकेंडरी स्तर पर न होकर सीनियर सेकेंडरी या बैचलर स्तर पर भी कराया जाए छोटी कक्षाओं में बच्चों को पता नहीं होता कि उन्हें कौन सी विदेशी भाषा पढ़ना चाहिए या भविष्य में उसका क्या उपयोग होगा।राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषा शिक्षा और भाषा अधिगम को बहुभाषा वाद और भाषा की सत्ता के रूप में वर्णित करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति तीन भाषाओं को सीखने के महत्व को रेखांकित करता है। जिसका उद्देश्य बहूभाषावाद को विकसित करना और भारत की विविध भाषा की टेपेस्ट्री के लिए सराहना करना है।फॉक्स में तीन भाषा इस प्रकार है 1.मातृभाषा या घरेलू भाषा 2.अंग्रेजी सहित कोई भी अन्य भाषा 3.मातृभाषा अंग्रेजी भाषा के अलावा कोई भी भाषा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण पर आधारित सीएफ भारत में शैक्षणिक संस्थाओं के विविध स्पेक्ट्रम में तीन से आठ की आयु के लिए शिक्षा के सुविधा प्रदान करता है।राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तीनों भाषाओं को सीखने की वकालत की गई है। सभी तीन भाषाओं में अकादमिक भाषण दक्षता के लिए प्रयास करना जिसमें कम से कम दो मूल भारतीय भाषाएं शामिल है। तीनों भाषाएं सीखने के लाभों में उन्नत संख्यात्मक संज्ञानात्मक कौशल बड़ी हुई संवेदनशीलता बेहतरीन नौकरी की संभावनाएं बेहतर संचार समताएं और विस्तारित यात्रा और अध्ययन के अवसर शामिल है। त्रिभाषी शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो बहुभाषावाद को बढ़ावा देने छात्रों को वैश्वीकरण दुनिया के लिए तैयार करने और भारत की भाषा परिदृश्य को समृद्ध करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया है कि दुर्भाग्य है कि भारतीय भाषाओं को समुचित ध्यान और देखभाल नहीं मिलने कारण विगत 50 वर्षों में 220 भाषाओं को खो दिया है यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्त भाषा घोषित कर दिया है।देश में इन समृद्ध भाषाई संस्कृति की अभिव्यक्ति को संरक्षित करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी भारतीय भाषाओं विशेष कर मातृभाषा एवं स्थानीय भाषा को प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य शिक्षा का माध्यम और उसके आगे यथा संभव भारतीय भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की बात कही गई है। भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम है।इस कार्य के लिए अनेक अकादमी एवं संस्थान भी खोले जाने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत के सभी भाषाओं के साथ संतुलन बनाने की कोशिश की गई है।इस नीति में यह अभी कहा गया है कि दुनिया भर के विकसित देशों में अपनी भाषा संस्कृति और परंपरा में शिक्षित होना कोई बाधा नहीं है और इसका भरपूर लाभ उन्हें मिलता है।जबकि भारत में अभी भी यह बहुत मुश्किल कार्य है।राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में

भारतीय भाषाएं विशेष कर मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया है।इसके साथ अंग्रेजी और संस्कृत के अध्ययन पर जोर दिया गया है। इससे पता चलता है कि शिक्षा नीति के द्वारा देश की भाषा नीति को भी निर्धारित करने के प्रयास किए गए हैं।दुनिया भर के भाषाविद और शिक्षाविद इस बात पर निर्विवाद रूप से एकमत है की मातृभाषा के माध्यम में शिक्षा प्रदान करने से बालक की मौलिक रचनात्मक प्रतिभा को विकसित करने में निश्चय ही मदद मिलती है।मातृभाषा में शिक्षा से बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनशीलता को बचाया जा सकता है। भाषाविदो का मानना है कि जो बच्चे अपने मातृभाषा में जितनी ज्यादा पकड़ रखते हैं वह उतने ही रचनात्मक और तार्किक होते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा की केंद्रीयता को इस बात से भी समझा जा सकता है कि 66 पृष्ठ के इस प्रारूप में 206 बार भाषा शब्द आया है।जिनमें 126 बार बहुवचन के रूप में और 80 बार एक वचन के रूप में या एक वचन या बहुवचन के रूप में वर्णित का होना इस बात को स्थापित करता है कि किसी एक भाषा और संस्कृति की बात न करके सभी भाषाओं पर केंद्रित मूल्यता पर जोर दिया गया है। शिक्षा नीति में यह भाषाई स्वीकृति को विगत वर्षों में भाषाओं के प्रति यथोचित स्थान नहीं दिया गया। यह महत्वपूर्ण स्थान एक बिंदु की तरह दिखता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र को लागू करने पर पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।क्योंकि देश से कुछ राज्य अभी भी तक इसका अमल नहीं कर रहे हैं।साथ ही त्रिभाषा नीति की जो भावना थी उत्तर के राज्य अर्थात हिंदीभाषा राज्य के साथ दक्षिण या अन्य राज्यों की एक भाषा सीखेंगे और हिंदी भाषा राज्यों के छात्र हिंदी सीखेंगे ।ऐसा व्यावहारिक रूप से किया नहीं गया इस हेतु इस नीति में भारतीय भाषा के शिक्षक को बढ़ावा देने हेतु राज्य परस्पर अनुबंध कर भाषा शिक्षकों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार का सुझाव भी दिया गया है त्रिभाषा सूत्र के क्रियान्वयन को लेकर एक और प्रावधान है कि छात्रों को तीन में से दो भारतीय भाषाएं चुनना अनिवार्य होगा।राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में संस्कृत का भी संवर्धन किया जाएगा तथा विशेष कर जनजाति पहाड़ी क्षेत्र के छात्र जो राज्य की राजभाषा भी ठीक प्रकार से नहीं जानते ऐसे में उनको वहां की स्थानीय भाषा में भी पढ़ाया जाए। तब वह सही ढंग से सीख पाएंगे इस हेतु इस नीति में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जाने वाले साक्षात्कार में स्थानीय भाषा की सुगमता का भी परीक्षण किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण भारत के उत्कृष्ट छात्र/छात्रा को प्रशिक्षित किया जायेगा।

निष्कर्ष:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरत को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में हेतु नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020को मंजूरी दी है।अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है,तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के

अग्रणी देशों के समक्ष ले जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 34 वर्षों पश्चात आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को समान शिक्षा प्रदान करना जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष की आयु सीमा को सार्वभौमिक बनाना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय भाषाओं की विराट संकल्पना के साथ प्रस्तुत हुई है।राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से प्रारंभिक स्तर पर माध्यमिक स्तर पर और संभव है तो उच्च शिक्षण में भी स्थानीय भाषा का प्रयोग प्रोत्साहन की संकल्पना निश्चित रूप से सराहनीय और ऐतिहासिक प्रयास है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति को महत्व दिया गया है। यह स्पष्ट है कि कम से कम कक्षा 5 तक और यह बेहतर हुआ की कक्षा 8 और उसके आगे भी शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, मातृभाषा,स्थानीय भाषा,क्षेत्रीय भाषा ही होनी चाहिए।विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतम गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों को घरेलू भाषा अथवा मातृभाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। विभिन्न शोध अनुसंधानों से यह स्पष्ट है कि बालक अपनी आरंभिक अवस्था यानी दो से आठ और दस आयु के बीच में जल्दी भाषिक ज्ञान में दक्षता प्राप्त करते हैं।उनका मानसिक विकास इस आयु में सर्वाधिक होता है। गांधी जी ने कहा था मेरी मातृभाषा में कितनी ही कमियां क्यों ना हो मैं उसे उसी तरह चिपटा रहूंगा जिस तरह मां की छाती से बच्चा रहता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा के साथ संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण संवर्धन और शिक्षक की दिशा में खुलापन लेकर आई है।भारतीय भाषाओं की जननी संस्करण साहित्य में गणित दर्शन व्याकरण संगीत राजनीति चिकित्सा वास्तुकला धातुविज्ञान कविता कहानी बहुत कुछ इतने विशाल रूप में है यदि उसका अवगाहन किया जाए तो एक बड़े ज्ञान का भंडार हमारे सामने उपलब्ध हो सकता है।भारतीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं के साथ-साथ अंग्रेजी, कोरियाई ,जापानी,थाई जर्मन,पुर्तगाली,रूसी आदि भाषाओं के शिक्षण में अध्ययन के भी प्रावधान है।ताकि विद्यार्थी अंग्रेजी ही नहीं अपितु अन्य वैदिक, वैश्विक भाषा और संस्कृतियों के बारे में भी जाने।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक ऐतिहासिक नीति सिद्ध होगी इससे भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। भारतीय भाषाएं सशक्त होगी तो सही मायने में नया भारत सशक्त भारत बनेगा। भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण से ही भारतवर्ष की सांस्कृतिक विविधता के अनेक आयाम जन-जन तक पहुंचेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में श्रेष्ठ भारत का आधार भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण से ही संभव है।

संदर्भ स्रोत ग्रंथ:

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: अवसर ओर चुनौतियां__रंजीत जगारिया एवम अनुभा शर्मा।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार।

3. डॉ.वेदप्रकाश:_राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण की ओर

4.द टाइम्स ऑफ इंडिया लेख 24/8/23

5. अरिमार्दन कुमार त्रिपाठी:_ भारतीय शिक्षा नीति 2020एवम भारतीय भाषाए।

6. अतुल कोठारी:_ नई शिक्षा नीति और भारतीय भाषाए।